मिनी बस चुराकर भाग रहा शातिर दबोचा

कानपुर: मिनी बस चुराकर भाग रहे शातिर को थाना पनकी पुलिस ने दबोच लिया। इस दौरान एक अभियुक्त मौका पाकर भाग निकला। शातिर के पास से चुराई गई बस भी बरामद हो गई है। फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

शनिवार को नौबस्ता थाना क्षेत्र से एक बस चोरी करके कानपुर देहात की तरफ लेकर भागने की सूचना पर एक्शन मोड में आई पुलिस ने नौबस्ता की तरफ से आने वाली सड़क पर चेकिंग लगा दी। थोडी देर बाद एक मिनी AC बस एल0एम0एल0 चौराहे की तरफ आती दिखाई दी तो पुलिस को चेकिंग करता देख मिनी बस पीछे मोडकर फैक्ट्री की तरफ भागने लगा। पुलिस ने मिनी बस को घेरकर रोक लिया। बस में दो व्यक्ति सवार थे एक चालक वाली सीट पर बैठा था तथा दूसरा कंडक्टर वाली सीट पर बैठा था तभी एक व्यक्ति बस का गेट खोलकर एल0एम0एल फैक्ट्री की तरफ भाग गया तथा चालक को मौके पर ही पकड लिया गया।

पकड़े गये अभियुक्त की पहचान पंकज यादव पुत्र श्याम किशोर यादव उर्फ मुनीम यादव उर्फ मुन्नू नि0- 43 गहाखेडा मिर्जापुर अजगांव थाना औरास जिला उन्नाव के रूप में हुई। पूछताछ में पंकज ने बताया कि तथा यह मिनी AC बस दोनो अभियुक्तगण ने यशोदा नगर नौबस्ता थाना क्षेत्र हनुमन्त बिहार से चोरी करके बर्रा बाईपास के पास आड में खडी करके छुपा दिया था जिसे आज बेचने के लिये नेपाल जा रहे थे। अभियुक्त पर अलग-अलग जनपदों में भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। उनके कब्जे से एक अदद मिनी बस नं UP90 T 6442 बरामद हुआ बरामद माल व मुल्जिम के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 421/2022 धारा 41/102 CRPC व 411 IPC पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. पंकज यादव पुत्र श्याम किशोर यादव उर्फ मुनीम यादव उर्फ मुन्नू नि0- 43 गहाखेडा मिर्जापुर अजगांव थाना औरास जिला उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष

भागा हुआ अभि0-

1. नीरज शर्मा पुत्र देवेन्द्र कुमार नि0- मैथा स्टेशन के पास थाना शिवली कानपुर देहात

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 704/2019 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली

2. मु0अ0सं0 913/2019 धारा 411/413 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली

3. मु0अ0सं0 115/2022 धारा 379/411 भादवि थाना हनुमन्त विहार कमिश्नरेट कानपुर

4.मु0अ0सं0 421/2022 धारा 41/102 CRPC व 411 भादवि थाना पनकी कमिश्नरेट कानपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अंजन कुमार सिंह, उ0नि0 सतीश यादव, हे0का0 कृष्ण कुमार, हे0का0 विष्णु पाल सिंह, का0 अनारसिंह शामिल रहे।